



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11072024-255348
CG-DL-E-11072024-255348

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 354]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 11, 2024/आषाढ 20, 1946

No. 354]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 11, 2024/ASHADHA 20, 1946

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2024

सा.का.नि. 382(अ).—केन्द्रीय सरकार, सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 (2011 का 11) की धारा 24 की उपधारा (2) के खंड (घ) और खंड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सिक्का निर्माण (बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी करना) नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सिक्के का मूल्यवर्ग.- बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर केन्द्रीय सरकार के प्राधिकार के अधीन जारी करने के लिए एक साल में एक सौ पचास रुपये मूल्य वर्ग का सिक्का ढाला जाएगा।

3. सिक्के की विमा और संरचना.- नियम 2 में उल्लिखित मूल्य वर्ग के सिक्के, निम्नलिखित विमाओं और संरचना के अनुरूप होंगे, अर्थात्:-

सिक्के का मूल्यवर्ग	आकृति और बाह्य व्यास	दांतों की संख्या	धातु संरचना
(1)	(2)	(3)	(4)
एक सौ पचास रुपये	वृत्ताकार 44 मिलीमीटर	200	चतुर्थक मिश्र धातु चांदी - 50 प्रतिशत तांबा - 40 प्रतिशत निकेल - 05 प्रतिशत जस्ता - 05 प्रतिशत

4. डिज़ाइन.- सिक्के का डिज़ाइन वह होगा जो इन नियमों की पहली अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट है।

5. मानक वजन और अनुज्ञात उपचार.- बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर स्मरणोत्सव मनाने के लिए नियम 2 में निर्दिष्ट मूल्यवर्ग के ढाले गए सिक्के का मानक वजन और ऐसे सिक्के को बनाने में अनुज्ञात उपचार वह होगा जो इन नियमों की दूसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट है।

पहली अनुसूची

(नियम 4 देखें)

एक सौ पचास रुपये

अग्र भाग:

सिक्के के इस भाग पर मध्य में अशोक स्तम्भ का सिंह स्तम्भ शीर्ष होगा, जिसके नीचे "सत्यमेव जयते" लेख उत्कीर्णित होगा, उसकी बाईं परिधि पर देवनागरी लिपि में "भारत" शब्द और दाईं परिधि पर अंग्रेजी में "INDIA" शब्द होगा। सिंह स्तम्भ शीर्ष के नीचे रुपये का प्रतीक "₹" और अंतर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य "150" भी होगा।

पृष्ठ भाग:

सिक्के के इस भाग के मध्य में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 150 वर्ष के अवसर का प्रतीक चिन्ह होगा। सिक्के के ऊपरी परिधि पर देवनागरी लिपि में "1875 से निवेशकों को समर्थ बनाते हुए" लिखा होगा और सिक्के की निचली परिधि पर अंग्रेजी में "EMPOWERING INVESTORS SINCE 1875" वर्णित होगा। प्रतीक चिन्ह के नीचे अंतर्राष्ट्रीय अंकों में वर्ष "2024" लिखा होगा।

दूसरी अनुसूची

(नियम 5 देखें)

सिक्के का मूल्यवर्ग	मानक वजन	अनुज्ञात उपचार	
		धातु संरचना में	मानक वजन में
(1)	(2)	(3)	(4)
एक सौ पचास रुपये	35 ग्राम	चांदी के लिए 1/500वां हिस्सा की वृद्धि या कमी अर्थात् चांदी का अंश प्रति 1000 में 498 से 502 के बीच हो सकेगा।	1/100वां हिस्सा की वृद्धि या कमी अर्थात् वजन 34.65 ग्राम से 35.35 ग्राम तक हो सकता है।

[फा.सं. 02/05/2024-सिक्का]

अपर्णा भाटिया, सलाहकार

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economics Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2024

G.S.R. 382(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (d) and (e) of sub-section (2) of section 24 of the Coinage Act, 2011(11 of 2011), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Coinage (Issue of Commemorative Coin on the occasion of completion of 150 years of Bombay Stock Exchange) Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Denomination of coin.**- The coin of One hundred fifty Rupees denomination shall only be coined at the Mint for issue under the authority of the Central Government on the occasion of completion of 150 years of Bombay Stock Exchange.

3. **Dimension and composition of coin.**- The denomination of the coin mentioned in rule 2 shall conform to the following dimensions and composition, namely: -

Denomination of the coin	Shape and outside diameter	Number of serrations	Metal composition
(1)	(2)	(3)	(4)
One hundred fifty Rupees	Circular 44 millimeter	200	Quaternary Alloy Silver - 50 per cent. Copper - 40 per cent. Nickel - 05 per cent. Zinc - 05 per cent.

4. **Design.**- The design of the coin shall be as specified in the First Schedule to these rules.

5. **Standard weight and remedy allowed.**- The standard weight of the coin of denomination referred in rule 2 shall be coined to commemorate the occasion of completion of 150 years of Bombay Stock Exchange and the remedy allowed in making of such coin shall be as specified in the Second Schedule to these rules.

THE FIRST SCHEDULE

[See rule 4]

ONE HUNDRED FIFTY RUPEES

OBVERSE:

This face of the coin shall bear the Lion Capitol of Ashoka Pillar in the centre with the legend “सत्यमेव जयते” inscribed below, flanked on the left periphery with the word “भारत” in Devnagari script and on the right periphery with the word “INDIA” in English. It shall also bear the Rupee symbol “₹” and denominational value “150” in the international numerals below the Lion Capitol.

REVERSE:

This face of the coin shall bear the logo of 150 year celebration of the Bombay Stock Exchange. The inscription “1875 से निवेशकों को समर्थ बनाते हुए” in Devnagari script shall be written on the upper periphery of the coin and the inscription “EMPOWERING INVESTORS SINCE 1875” in English is depicted on the lower periphery of the coin. The year “2024” in international numerals shall be written below the logo.

THE SECOND SCHEDULE**[See rule 5]**

Denomination of the coin	Standard weight	Remedy allowed	
		In composition	In standard weight
(1)	(2)	(3)	(4)
One hundred fifty Rupees	35 Grams	1/500 th plus or minus for Silver, that is to say the Silver content may vary from 498 to 502 per 1000.	1/100 th plus or minus, that is to say weight could be 34.65 grams to 35.35 grams.

[F.No.02/05/2024- Coin]

APARNA BHATIA, Adviser